न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 47/2021 GCMS NO 2021/215
दायरा तिथि : 24.09.2021
आदेश तिथि : 14-3-2022

प्रार्थी :–
श्रीमति पुष्पा भाटी पत्नि छगनलाल भाटी
जाति मेघवाल निवासी लालराई तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थी :–
ग्राम पंचायत सेसाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांकः 14-3-2022

आदेश

प्रार्थीया ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीयां की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम लालराई पटवार हल्का, सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 274/1 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी ग्राम पंचायत सेसली गोचर भूमि खसरा नंबर 274 रकबा 28.6000 हैक्टर किस्म गै.मु. गोचर मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2021/914 दिनांक 29.11.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.आवेदक खातेदार श्रीमति पुष्पा भाटी पत्नि छगनलाल भाटी जाति मेघवाल निवासी लालराई तहसील बाली की धारित खातेदारी भूमि ग्राम लालराई के खसरा नंबर 274/1 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म बारानी सोयम है। उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	274	28.60 हैक्टर	गै.मु. गोचर	116 x4.57=522 वर्गमीटर	ग्राम पंचायत सेसली

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम लालराई की डी.एल.सी. दर 159840/– रूपये प्रति हैक्टर है।
4 .प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

अपनी रिपोर्ट में तहसीलदार, बाली द्वारा आवेदित भूमि की किस्म गै.मु. गोचर होने **तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट. की धारा–16 में वर्णित भूमियो की श्रेणी में होने से धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी** की भूमि होने से नियमो के तहत रास्ता उपलब्ध कराना उचित नहीं होना बताया।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया श्री दिनेश गेहलोत ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि आवेदक खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिये कोई रेकर्डेड रास्ता मौजुद नहीं होने तथा आवेदित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत, सेसली की गोचर भूमि खसरा नंबर 274 में से रास्ता की मांग की गई है। जिस बाबत् तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। अतः प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के प्रावधानो अनुसार रास्ता उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित किये जाने की दलील दी गई।

पेज लगातार............02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 47/2021 GCMS NO 2021/215

अनवान पुष्पा भाटी बनाम ग्राम पंचायत सेसली

अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का, सेसली के खसरा नंबर 274/1 रकबा 1.60 हैक्टर में आवागमन के लिये कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा आवेदित मार्ग खसरा नंबर 274 के अलावा अन्य विकल्प भी नहीं है। परन्तु यह भी प्रमाणित तथ्य हैं कि खसरा नंबर 274 रकबा 28.60 हैक्टर ग्राम पंचायत सेसली की गोचर भूमि है, गोचर भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वर्णित किस्म की भूमि होने से प्रतिबंधित भूमि है। यदि आवेदक चाहे तो रास्ते के लिये प्रस्तावित रकबा के बराबर की भूमि अपनी खातेदारी भूमि मेंसे गोचर के लिये समर्पण के पश्चात् आवेदित मार्ग से रास्ते बावत् अनुमत किया जा सकता है, परन्तु आवेदक इसके लिये तैयार नहीं है। इसके साथ ही प्रकरण में यह भी प्रमाणित हैं कि आवेदित रास्ता आमजन के द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला कदीमी रास्ता नहीं है। यदि उक्त रास्ता कदीमी मौके पर चला आ रहा है, तथा उक्त कदीमी रास्ते का उपयोग अन्य ग्रामवासी भी कदीम से करते आ रहे है, तो इस सबंध में ग्रामवासियो के अभ्यावेदन पर जांच के पश्चात् प्रकरण तहसीलदार, बाली द्वारा अनुशंषा के साथ अवश्य इस न्यायालय को भिजवाया जाता। जिसमें जांच प्रतिवदेन के अनुसार नियमो में परिपोषणीय होने पर राज्य सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमॉकः प. 3(2) राज–6/ 2003/ पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 तथा राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकः प. 3(17)राज–6/ 2021 पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 के अनुसरण में कदीमी रास्ता घोषित किया जा सकता था। जिससे विधि के प्रावधानो अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के तहत आवेदक को अपनी खातेदारी भूमि लालराई के खसरा नंबर 274/1 रकबा 1.60 हैक्टर तक ग्राम लालराई के खसरा नंबर 274 रकबा 28.60 हैक्टर किस्म गै.मु. गोचर से नवीन रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। उक्त विवेचन से आवेदक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 21-3-2022

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

क्रमॉक/कोर्ट/2022/815-818

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बाली
3. पटवारी हल्का, सेसली
4. आवेदक श्रीमति पुष्पा भाटी पत्नि छगनलाल भाटी जाति मेघवाल निवासी लालराई को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner